एक पार्टी की, रामसेबुक बनाम *कमलाल* कोंडू, (1831) एल देखें।एच. के. 6 कैल. 815.कठोरता या इस कानून को भारतीय सीमा अधिनियम, 19ख3 की खंड 21 (1) के प्रावधान द्वारा कम किया गया है, जो न्यायालय को इस बात पर संतुष्ट करता है कि किसी नए अभियोक्ता या नए प्रतिअभियोक्ता को शामिल करने में चूक सद्भावना से की गई गलती के कारण हुई थी, यह निर्देश देने के लिए कि ऐसे अभियोक्ता या प्रतिअभियोक्ता के संबंध में मुकदमा किसी भी पूर्व तिथि पर शुरू किया गया माना जाएगा।"

(7) हालाँकि, इस आदेश से अलग होने से पहले, हम यह देखेंगे कि याचिका का मसौदा तैयार करते समय जो लापरवाही की गई है, उसे पूरी तरह से माफ नहीं किया जाना चाहिए, विशेष रूप से जब कांसी राम की मृत्यु वर्ष 1983 में हुई थी और यह तथ्य कम से कम 1984 में आवेदक के संज्ञान में था क्योंकि उन्होंने स्वयं कांसी राम के कानूनी प्रतिनिधियों में से एक को आयुक्त के समक्ष पक्ष (प्रतिवादी) के रूप में शामिल करने के लिए आवेदन किया था।लापरवाही के परिणामस्वरूप मामले को अनावश्यक रूप से लंबा किया गया है जो एक विरोधी के लिए एक स्पष्ट उत्पीड़न है।इस प्रकार, आवेदनों की अनुमति रुपये के भुगतान के अधीन है। प्रत्येक मामले में लागत के रूप में 300।यह मामला अब 20 जुलाई, 1992 को सुनवाई के लिए पेश किया जाएगा।

जे एस टी।

माननीय ए. पी. चौधरी और जे. बी. गर्ग, जे. जे. के सामने

जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए हरियाणा राज्य बोर्ड-
याचिकाकर्ता।

बनाम

मेसर्स जय भारत वूलेन फिनिशिंग वर्क्स, पानीपत और *अन्य-उत्तरदाता।*

सीआरएल 1986 की अपील *सं.* 123-डी. बी. ए.

24 सितंबर, 1991।

प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम, 1974- एस. 25, 26, 43। 44, 49, 50-दंड प्रक्रिया संहिता, *(1914 का द्वितीय)- अभियोजन- खाली भूमि पर व्यापार अपशिष्ट का निर्वहन- नमूना आई. एस. 2490- धारा 378 (5) के अनुरूप नहीं पाया गया।* उच्च न्यायालय में अपील *दायर करने के लिए सीमा निर्धारित करना- छह महीने की सीमा प्रदान की गई है जहां शिकायतकर्ता सरकारी कर्मचारी है और अन्य मामलों में 60 दिन- बोर्ड द्वारा स्थापित शिकायत- बोर्ड एक लोक सेवक नहीं है- 60 दिनों से अधिक* दायर *अपील जो सीमा द्वारा* वर्जित *है* हालांकि, सीमा *अधिनियम की धारा 5 378 (4)* के तहत अपील पर लागू होती है।

क्र. पी. सी.-वरिष्ठ *अधिवक्ता की सलाह के परिणामस्वरूप अपील दायर* करने *में देरी कि सीमा की अवधि 6* महीने *थी- पर्याप्त कारण- दिखाई गई देरी को माफ किया जाना चाहिए- अधिनियम* की धारा *49 के तहत* अदालत *बोर्ड की पूर्व मंजूरी के बिना किसी अपराध का संज्ञान नहीं ले सकती है- जहां बोर्ड स्वयं एक शिकायतकर्ता है, बोर्ड की मंजूरी आवश्यक नहीं है- यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सबूत या सामग्री नहीं है कि आरोपी सो रहा भागीदार/प्रभारी था या कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए जिम्मेदार था, अदालत ने ऐसे सो रहे साथी* को दोषी *ठहराने से परहेज किया- 10 साल से अधिक समय पहले लिया गया नमूना- अदालत ने आरोपी प्रबंधक को पर्याप्त सजा नहीं दी, इसके बजाय जुर्माना लगाया गया।*

माना, कि केवल तथ्य यह है कि सदस्य, अधिकारी और बोर्ड के कर्मचारियों को अधिनियम की खंड 50 के तहत भारतीय दंड संहिता की खंड 21 के अर्थ के भीतर लोक सेवक घोषित किया गया है, इस निष्कर्ष की गारंटी नहीं देता है कि बोर्ड द्वारा दायर अपील को जनता द्वारा दायर किया गया माना जाना चाहिए।सेवक।कानून की नजर में, बोर्ड एक अलग न्यायिक व्यक्ति है जो इसके सदस्यों, अधिकारियों और सेवकों से अलग है।बोर्ड तब तक लोक सेवक

नहीं है और न ही कभी हो सकता है जब तक कि अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया हो। संहिता की खंड 378 (5) के प्रयोजनों के लिए इस अपील में सीमा की सामान्य अवधि।इसलिए, साठ दिन हैं।मामले के इस दृष्टिकोण में।सीमा की अवधि से परे दायर की गई अपील को सीमा से वर्जित किया जाएगा।

(पैरा 8)

अभिनिर्धारित है कि खंड 5 Cr.P.C की खंड 378 (5) के तहत एक आवेदन पर लागू होती है। यह भी देखा गया है कि बोर्ड को एक वरिष्ठ अधिवक्ता से सलाह मिली थी कि इस मामले में सीमा की अवधि छह महीने थी और बोर्ड के लिए उस सलाह की शुद्धता पर संदेह करने का कोई उचित कारण नहीं था।खंड 5 के तहत आवेदन में उल्लिखित तथ्यों द्वारा देरी को संतोषजनक रूप से समझाया गया है, जिनका विरोध नहीं किया गया है।यह दोहराया जाता है कि न्यायाधीशालयों को न्यायाधीश के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए खंड 5 के प्रावधानों के बारे में उदार दृष्टिकोण अपनाना होगा।इन सभी कारणों से हम अपील दायर करने में देरी को माफ करते हैं।

(पैरा 9)

अभिनिर्धारित किया कि हमें इस तर्क में कोई बल नहीं मिलता है कि न्यायालय अधिनियम की खंड 49 को देखते हुए बोर्ड की पूर्व मंजूरी के बिना अपराध का संज्ञान नहीं ले सकता है। अधिनियम की खंड 49 के एक सादे अध्ययन से पता चलता है कि बोर्ड द्वारा की गई शिकायत पर या जहां बोर्ड द्वारा नहीं की गई है, उस मामले में राज्य बोर्ड की लिखित में पूर्व मंजूरी के साथ संज्ञान लिया जा सकता है।चूंकि वर्तमान मामले में शिकायत बोर्ड द्वारा की गई थी, इसलिए बोर्ड की पूर्व मंजूरी का कोई सवाल ही नहीं था।

(पैरा 111)

अभिनिर्धारित किया कि अधिनियम की खंड 25 और 26 जो हाथ में मामले के लिए प्रासंगिक खंडएं हैं, को जल (रोकथाम और प्रदूषण नियंत्रण) संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा संशोधित किया गया था।

यह संशोधन हरियाणा राज्य में 13 दिसंबर, 1978 से लागू किया गया था। राज्य सरकार ने 14 जुलाई, 1980 को अधिसूचना संख्या 29/3 पी. एच. (3) जारी की, जिसमें 21 अक्टूबर, 1980 को उस तारीख के रूप में निर्दिष्ट किया गया था, जिस दिन या उससे पहले खंड 26 के साथ पठित खंड 25 की उप-खंड (2) के तहत सहमति के लिए आवेदन किया जाना था।संशोधन के अनुसार, 21 अक्टूबर, 1980 के बाद से बोर्ड की सहमति के बिना सीवरेज़ या भूमि पर एक व्यापारिक अपशिष्ट का निर्वहन एक अपराध था।इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि व्यापारिक अपशिष्ट को नगरपालिका के नाले में छोड़ा गया था या इस तरह के अपशिष्ट को नगरपालिका के नाले से बाहर निकाला गया था और भूमि पर बहने दिया गया था।

(पैरा 12)

आयोजित, कि श्रीमती पर दायित्व को मजबूत करने के लिए। फूला देवी, अभियोजन पक्ष जो कुछ भी रिकॉर्ड में लाने में समर्थ रहा है, वह सुभाष चंदर, प्रबंधक और श्रीमती द्वारा की गई स्वीकारोक्ति है। फूला देवी ने स्वयं खंड 313 के तहत अपने बयान में कहा कि वह फर्म की भागीदार हैं।अभिलेख पर यह दिखाने के लिए कोई अन्य सामग्री नहीं है कि वह कंपनी की प्रभारी थीं या कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए जिम्मेदार थीं।इन तथ्यों को साबित करने का भार स्पष्ट रूप से अभियोजन पक्ष पर है।इस कारण से, श्रीमती को दोषी ठहराना संभव नहीं है। फूला देवी।

(पैरा 1)

माना कि चूंकि नमूना 10 साल से अधिक समय पहले लिया गया था, इसलिए हम आरोपी सुभाष चंदर को कारावास की कोई ठोस सजा नहीं देना चाहते हैं।दोनों में से कोई भी वकील इस बात की पुष्टि करने की स्थिति में नहीं था कि सुभाष चंदर फर्म की सेवा में बने रहे या उन्होंने इसे छोड़ दिया था।इस प्रकार वह केवल एक कोड़े मारने वाला लड़का है। इन कारणों से हम फर्म पर 3,000 और आरोपी नंबर 1 सुभाष चंदर पर 2,500 रुपये का जुर्माना। जुर्माने का भुगतान न करने पर सुभाष चंदर, उन्हें छह महीने कि आरआई से गुजरना होगा| (पैरा 14)

अपीलकर्ता की ओर से अधिवक्ता आदर्श जैन के साथ *वरिष्ठ अधिवक्ता एम. एस. जैन।*

प्रतिवादी की ओर से जी. एस. बावा, अधिवक्ता और *के. एल. अरोड़ा, अधिवक्ता*

निर्णय

ए. पी. चौधरी जे.

(1) जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए हरियाणा राज्य बोर्ड (संक्षेप में, बोर्ड) ने अपने सहायक पर्यावरण अभियंता के माध्यम से जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिgनियम, 1974 (इसके बाद अधिनियम कहा गया) की धारा 43 और 44 के तहत जय भारत वूलन फिनिशिंग वर्क्स के प्रबंधक सुभाष चंदर और भागीदार श्रीमती फूला देवी के नाम से जानी जाने वाली साझेदारी कंपनी के खिलाफ एक शिकायत दर्ज की। आरोपियों पर सब-डिवीजन न्यायिक मजिस्ट्रेट, पानीपत द्वारा मुकदमा चलाया गया और 1 जून, 1985 के फैसले से उन्हें बरी कर दिया गया। बरी किए जाने से व्यथित होकर, बोर्ड ने इस अपील को प्राथमिकता दी है।

(2) अभियोजन पक्ष के मुताबिक आरोपी औद्योगिक क्षेत्र, पानीपत, में कंबल फिनिशिंग का काम कर रहे थे| इस कार्य में सोडा ऐश एसिड आदि जैसे रसायनों का उपयोग शामिल है। आरोपी द्वारा किए गए ऑपरेशन के परिणामस्वरूप, विभिन्न रसायनों से युक्त कुछ व्यापार अपशिष्ट उत्पन्न होता है। उक्त प्रवाह रासायनिक, भौतिक एवं जैविक रूप से प्रदूषित जल के रूप में है । आरोपी उक्त व्यापारिक अपशिष्ट को बिना किसी उपचार के नगरपालिका समिति के खुले नाले में बहा रहा था। अभियुक्त अधिनियम की धारा 25 और 26 के प्रावधानों के अनुसार बोर्ड की सहमति प्राप्त करने में विफल रहे, बोर्ड ने बोर्ड की अपेक्षित सहमति प्राप्त करने के लिए आवेदन करने के लिए अभियुक्तों को

कई नोटिस दिए , लेकिन उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। 3 जुलाई, 1981 को सहायक पर्यावरण अभियंता ने फर्म के 'आरोपी को' नमूने का विश्लेषण कराने के उसके इरादे का नोटिस देने के बाद परिव्यय से व्यापार अपशिष्ट का नमूना लिया। आरोपी सुभाष चंद्र को नोटिस तामील कराया गया। यह कला के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार लिया गया था। नमूने का विश्लेषण बोर्ड विश्लेषणकर्ता द्वारा किया गया और उसके परिणामस्वरूप, यह पाया गया कि नमूना इस संबंध में लागू आईएस 2490 के साथ पुष्टि में नहीं था। बोर्ड ने 18 अप्रैल, 1980 को अभियुक्तों पर मुकदमा चलाने का निर्णय लिया। उक्त निर्णय के क्रम में परिवाद प्रस्तुत कर उपरोक्त आरोपियों पर मुकदमा चलाया गया।

(3) मुकदमे में, शिकायतकर्ता ने आरपी मिश्रा, सहायक पर्यावरण इंजीनियर, पीडब्लू1 से पूछताछ की; एससी मान, सहायक पर्यावरण रसायनज्ञ, पीडब्लू 2, और आरोपी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए बोर्ड के प्रस्ताव की प्रति प्रस्तुत की ।

(4) श्रीमती. फूला देवी, आरोपी, ने स्वीकार किया कि वह आरोपी नंबर 1 फर्म में भागीदार थी, लेकिन उसने कहा कि उसने कारखाने के संचालन में भाग नहीं लिया। उसने स्वीकार किया कि फर्म कंबल पर काम पूरा करने का काम कर रही थी। हालांकि, आरोपी के खिलाफ आने वाले अन्य सबूतों को खारिज कर दिया गया। आरोपी सुभाष चंदर ने अपने बयान में स्वीकार किया कि वह आरोपी फर्म का प्रबंधक था। उन्होंने कहा कि श्रीमती फूला देवी फर्म के व्यवसाय में सक्रिय भाग नहीं ले रही थीं। उन्होंने साक्ष्य में आरोपी के खिलाफ दिखाई देने वाली अन्य सामग्री से इनकार किया। आरोपी ने चंबा राम, डीडब्ल्यू 1 से पूछताछ की, जो जय भारत वूलन मिल्स के सामने स्थित एक अन्य फैक्ट्री में काम कर रहा है । उनके अनुसार, व्यापार अपशिष्ट की केवल एक बोतल नमूने के रूप में ली गई थी और प्रबंधक, सुभाष चंदर द्वारा अनुरोध किए जाने के बावजूद, नमूना की दूसरी बोतल नहीं ली गई थी।

(5) विद्वान ट्रायल कोर्ट ने शिकायतकर्ता के साथ-साथ आरोपी की ओर से उठाए गए कई तर्कों पर गौर किया, 'लेकिन यह कहते हुए दुख हो रहा है कि

कोर्ट किसी भी ठोस निष्कर्ष को दर्ज करने में विफल रहा, उदाहरण के लिए, यह नहीं माना गया कि कोई वैध अनुमोदन नहीं था| यह नहीं पाया गया कि श्रीमती. फूला देवी स्लीपिंग पार्टनर थीं और इसलिए उन पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। ऐसा नहीं पाया गया कि आरोपी प्रदूषित पानी को नगरपालिका के नाले में बहा रहा था। वास्तव में, पैराग्राफ 14 में चर्चा, जो कि पूरी तरह से समर्पित एकमात्र पैराग्राफ है, का कोई मतलब नहीं है और फैसले का समर्थन करने के लिए आरोपी की ओर से विद्वान वकील को उसमें जो कहा गया है उसका अर्थ समझने में भी उतनी ही कठिनाई हो रही थी। ट्रायल कोर्ट ने जो निष्कर्ष निकाला वह यह था कि खाली भूमि में प्रदूषित पानी छोड़ना कोई अपराध नहीं है और इसलिए, आरोपी को बरी कर दिया गया।

(6) अभियुक्त की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री जीएस बावा ने प्रारंभिक आपत्ति उठाई। उन्होंने तर्क दिया कि अपील परिसीमा द्वारा वर्जित है। उन्होंने दंड प्रक्रिया संहिता (संक्षेप में संहिता) की धारा 378(5) का उल्लेख किया, जो इस प्रकार है:

> *"बरी के आदेश से अपील करने के लिए विशेष अनुमति देने के लिए उपधारा (4) के तहत कोई भी आवेदन छह महीने की समाप्ति के बाद उच्च न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया जाएगा, जहां शिकायतकर्ता एक लोक सेवक है, और हर दूसरे में साठ दिन मामले की गणना दोषमुक्ति के उस आदेश की तारीख से की जाएगी।"*

उन्होंने आगे बताया कि बरी करने का फैसला 1 जून 1985 का है। प्रमाणित प्रति के लिए आवेदन 'उसी दिन किया गया था।' प्रतिलिपि 5 जून, 1985 को तैयार हो गई थी। अपील 28 नवंबर, 1985 को दायर की गई थी। उन्होंने आगे कहा कि बोर्ड को धारा 378(5) के संदर्भ में, एक लोक सेवक के रूप में नहीं ठहराया जा सकता है इस्लिये संहिता के अनुसार, परिसीमा की अवधि साठ दिन थी जो फैसले की प्रमाणित प्रति तैयार करने में ली गई अवधि को ध्यान में रखते हुए 5 अगस्त, 1985 को समाप्त हो गई। उनके अनुसार, इस प्रकार अपील पर 115 दिनों से परिसीमा के चलते वर्जित है| तर्क के समर्थन में, श्री बावा ने दिल्ली *नगर निगम बनाम जगदीश लाल, एआईआर 1970 सुप्रीम कोर्ट 7, दिल्ली नगर निगम*

बनाम अमृत लाल, 1981 सीसी केस 33 (दिल्ली), दिल्ली नगर निगम बनाम एसके जैन, 1985(1) हालिया आपराधिक रिपोर्ट 403 और *दिल्ली नगर निगम बनाम धनी राम, 1988(1) हालिया सी. रिपोर्ट 300* पर भरोसा जताया जो सभी दिल्ली उच्च न्यायालय के डिवीजन बेंच के फैसले है| इन सभी फैसलों में, यह माना गया कि दिल्ली नगर निगम एक लोक सेवक नहीं है और इस प्रकार, सीमा की अवधि के भीतर संहिता की धारा 378(5) के तहत जो अपील दायर की जा सकती थी, वह दोषमुक्ति के आदेश की तारीख से साठ दिन की थी। दूसरी ओर, अपीलकर्ता के विद्वान वकील श्री एमएस जैन ने तर्क दिया कि बोर्ड एक न्यायिक व्यक्ति था और केवल बोर्ड के अध्यक्ष या सदस्यों या अधिकारियों के माध्यम से कार्य कर सकता था , और बोर्ड के सदस्यों, अधिकारियों और सेवकों को स्पष्ट रूप से घोषित किया गया था। अधिनियम की धारा 50 के तहत लोक सेवक हों, और इस प्रकार, सीमा की अवधि छह महीने मानी जानी चाहिए, यदि इसे स्वीकार कर लिया गया तो अपील संहिता के तहत निर्धारित अवधि के भीतर होगी। वैकल्पिक रूप से श्री जैन ने लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के तहत एक आवेदन किया, जो कि आपराधिक विविध आवेदन संख्या 1991 का 10664 है। आवेदन में कहा गया है कि पर्यावरण अभियंता सोनीपत ने अपने पत्र द्वारा बोर्ड को आरोपियों के बरी होने के बारे में अवगत कराया। दिनांक 21 जून 1985, 1 जून 1985 को बरी करने के फैसले की प्रमाणित प्रति अग्रेषित करते हुए। बोर्ड के जिला अटॉर्नी ने मामले की जांच की और 3 जुलाई 1985 को सिफारिश की कि फैसले के खिलाफ अपील दायर की जानी चाहिए। बोर्ड के सदस्य सचिवजिला अटॉर्नी के विचारों से सहमत हुए और अध्यक्ष को फाइल सौंपी, जो 23 जुलाई, 1985 के अपने नोट के माध्यम से जिला अटॉर्नी की रिपोर्ट से भी सहमत हुए। उन्होंने कार्यालय को एक वरिष्ठ वकील को नियुक्त करने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया। संबंधित कागजात एकत्र किए गए और मामले पर एक वरिष्ठ वकील के साथ चर्चा की गई। अधिवक्ता ने आगे विचार व्यक्त किया कि अपील दायर करने की सीमा अवधि छह महीने, यानी 1 दिसंबर 1985 तक थी। उनकी सलाह के आधार पर, बोर्ड ने 1 नवंबर 1985 की अपनी बैठक में निर्णय लिया कि एक अपील दायर की गई और तदनुसार कागजात 26 नवंबर 1985 को अधिवक्ता को प्रस्तुत किए गए, और विशेष अनुमति के लिए आवेदन 29 नवंबर 1985 को उच्च न्यायालय में दायर किया गया। आवेदन के साथ,

सदस्य-सचिव श्री आरएन मलिक का हलफनामा भी शामिल है जो की बोर्ड में कथित भौतिक तथ्यों के संबंध में दायर किया गया है। हालाँकि, आवेदन का मुख्य रूप से इस आधार पर जोरदार विरोध किया गया है कि आवेदन में उल्लिखित विभिन्न तिथियों का सावधानीपूर्वक अध्ययन करने से पता चलेगा कि मामले को इत्मीनान से निपटाया जा रहा था और किसी भी स्तर पर इससे जुड़ी कोई तात्कालिकता की भावना नहीं थी। यह भी तर्क दिया गया कि वकील का हलफनामा जिसने कथित तौर पर छह महीने की सीमा अवधि के संबंध में सलाह दी थी, उसे रिकॉर्ड पर नहीं रखा गया था।

(7) प्रारंभ में यह कहा जा सकता है कि शीर्ष न्यायालय ने मंगू राम बनाम दिल्ली नगर निगम, एआईआर 1976 सुप्रीम कोर्ट 105 मामले में कानून का फैसला कर दिया था कि परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5, दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 की धारा 417(3) के तहत विशेष छुट्टी के आवेदनों पर लागू होती है, जो धारा 378(5) के अनुरूप है। आगे स्थापित कानून यह है कि न्यायालयों को परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत पर्याप्त कारण पर विचार करते समय उदार दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। *कलेक्टर, भूमि अधिग्रहण, अनातनाग बनाम सुश्री कातिजी, एआईआर 1987 सुप्रीम कोर्ट 1353*, में इस विषय पर कानून की व्याख्या बहुत शिक्षाप्रद है और इसे लाभ के साथ संदर्भित किया जा सकता है। इंटर आलिया, सुप्रीम कोर्ट के आधिपत्य ने उसमें कहा कि न्यायपालिका का सम्मान तकनीकी आधार पर अन्याय को वैध बनाने की उसकी शक्ति के कारण नहीं किया जाता है, बल्कि इसलिए किया जाता है क्योंकि वह अन्याय को दूर करने में सक्षम है और ऐसा करने की अपेक्षा की जाती है। बोर्ड को अधिवक्ता की सलाह मिली कि विशेष अनुमति आवेदन दाखिल करने की सीमा अवधि छह महीने है।

(8) केवल यह तथ्य कि बोर्ड के सदस्यों, अधिकारियों और सेवकों को अधिनियम की धारा 50 के तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थ में लोक सेवक घोषित किया गया है, इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचता है कि बोर्ड द्वारा की गई अपील द्वारा दायर किया गया माना जाना चाहिए। एक लोक सेवक. कानून की नजर में बोर्ड उसके सदस्यों, अधिकारियों और सेवकों से अलग एक विशिष्ट न्यायिक व्यक्ति है। बोर्ड तब तक लोक सेवक नहीं है और न ही हो सकता

है जब तक कि अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान न हो । इसलिए , संहिता की धारा 378(5) के प्रयोजनों के लिए इस अपील में परिसीमा की सामान्य अवधि साठ दिन है। इस मामले को देखते हुए. परिसीमा अवधि से अधिक समय तक अपील दायर करने पर परिसीमा वर्जित होगी।

(9) यह हमें परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत आवेदन पर विचार करने के लिए लाता है । यह देखा गया है कि धारा 5 संहिता की धारा 378(5) के तहत एक आवेदन पर लागू होती है । यह भी देखा गया है कि बोर्ड को एक वरिष्ठ अधिवक्ता से सलाह मिली कि इस मामले में परिसीमा की अवधि छह महीने है और बोर्ड के पास उस सलाह की शुद्धता पर संदेह करने का कोई अच्छा कारण नहीं था। अन्यथा भी, धारा 5 के तहत आवेदन में उल्लिखित तथ्यों द्वारा देरी को संतोषजनक ढंग से समझाया गया है, जिसका खंडन नहीं किया गया है। यह दोहराने योग्य है कि न्यायालयों को न्याय के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए धारा 5 के प्रावधानों पर उदार दृष्टिकोण रखना होगा। इन सभी कारणों से, हम अपील दायर करने में हुई देरी को माफ करते हैं।

(10) यह हमें अपील के गुण-दोष पर लाता है।

(11) श्री बावा ने तर्क दिया कि न्यायालय अधिनियम की धारा 49 के मद्देनजर बोर्ड की पूर्व मंजूरी के बिना अपराध का संज्ञान नहीं ले सकता। हमें इस विवाद में कोई दम नजर नहीं आता. अधिनियम की धारा 49 को पढ़ने से पता चलता है कि संज्ञान या तो बोर्ड द्वारा की गई शिकायत पर लिया जा सकता है या जहां यह बोर्ड द्वारा नहीं किया गया है , उस स्थिति में, राज्य बोर्ड की लिखित पूर्व मंजूरी के साथ । चूंकि वर्तमान मामले में शिकायत बोर्ड द्वारा की गई थी, इसलिए बोर्ड की पूर्व मंजूरी का कोई सवाल ही नहीं था । *ज़ेड कोटासेक बनाम बिहार राज्य*, *1984 क्रिमिनल लॉ जर्नल 683*, में भी यही दृष्टिकोण अपनाया गया था ।

(12) अधिनियम की धारा 25 और 26, जो मौजूदा मामले के लिए प्रासंगिक धाराएं हैं, जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) संशोधन अधिनियम 1978 (1978 का 44) द्वारा संशोधित की गईं। यह संशोधन 13 दिसंबर, 1978 से

हरियाणा राज्य में लागू किया गया। राज्य सरकार ने अधिसूचना संख्या 29/3/पीएच(3) दिनांक 14 जुलाई, 1980 जारी की गई, जिसमें 21 अक्टूबर, 1980 को उस तारीख के रूप में निर्दिष्ट किया गया, जिस पर या उससे पहले धारा 26 के साथ धारा 25 सड़क की उप-धारा-(2) के तहत सहमति के लिए आवेदन किया गया था। माना जाता है कि 31 जुलाई, 1961 तक नमूना लेने तक अभियुक्त द्वारा ऐसा कोई आवेदन नहीं किया गया था। संशोधन के अनुसार, 21 अक्टूबर, 1980 से आगे बोर्ड की सहमति के बिना सीवेज या भूमि पर व्यापार अपशिष्ट का निपटान एक अपराध माना जाता है । इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि व्यापारिक अपशिष्ट को नगरपालिका नाली में बहाया गया था या ऐसे अपशिष्ट को नगरपालिका नाली से बाहर निकाला गया था और भूमि पर प्रवाहित किया गया था।

(13) कंपनियों द्वारा किए गए अपराधों से संबंधित अधिनियम की धारा 47, उस धारा में जोड़े गए स्पष्टीकरण के अनुसार अभिव्यक्ति में एक साझेदारी फर्म शामिल है, जिसमें कहा गया है कि जहां अधिनियम के तहत कोई अपराध किसी भी कंपनी द्वारा किया जाता है, प्रत्येक व्यक्ति जो उस समय अपराध कर रहा था। प्रतिबद्ध कंपनी के व्यवसाय का प्रभारी था और उसके संचालन के लिए कंपनी के प्रति जिम्मेदार था, साथ ही कंपनी को अपराध का दोषी माना जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और तदनुसार दंडित किया जाएगा। श्रीमती फूला देवी पर दायित्व तय करने के लिए अभियोजन पक्ष जो कुछ भी रिकॉर्ड पर लाने में सक्षम हुआ है वह प्रबंधक सुभाष चंदर और श्रीमती द्वारा की गई स्वीकारोक्ति है। फूला देवी ने खुद धारा 313 के तहत अपने बयान में कहा कि वह फर्म की पार्टनर हैं। यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कोई अन्य सामग्री नहीं है कि वह कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए कंपनी की प्रभारी थी या उसके प्रति जिम्मेदार थी। इन तथ्यों को साबित करने का भार स्पष्टतः अभियोजन पक्ष पर है। इस कारण से, श्रीमती फूला देवी को दोषी ठहराना संभव नहीं है।

(14) उपरोक्त कारणों से, हम आंशिक रूप से अपील की अनुमति देते हैं, जहां तक फर्म और प्रबंधक का संबंध है, बरी करने के फैसले को रद्द कर देते

हैं, हम श्रीमती फूला देवी को बरी करने में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। चूंकि नमूना 10 साल से अधिक समय के लिए लिया गया था। हम अभियुक्त सुभाष चंदर को कारावास की कोई ठोस सजा नहीं देना चाहते हैं। कोई भी वकील यह पुष्टि करने की स्थिति में नहीं था कि सुभाष चंदर फर्म की सेवा में बने रहे या उसे छोड़ दिया था, इस प्रकार वह केवल कोड़े मारने वाला लड़का है। इन कारणों से, हम फर्म, आरोपी नंबर 1 पर 3000/- रुपये का जुर्माना लगाते हैं और सुभाष चंदर, आरोपी नंबर 2 पर 2500/- रुपये का जुर्माना लगाते हैं। जुर्माने का भुगतान न करने पर सुभाष चंदर, उन्हें छह महीने कि आरआई से गुजरना होगा|

आरएनआर

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और

आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

मयंक गुप्ता
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
चरखी दादरी

*एच एंड एनबल से पहले*एन. सी. जैन, जे.
पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड, पटियाला-याचिकाकर्ता।

Haryana State Board for Prevention and Control of Water Pollution *v.* M/s Jai Bharat Woollen Finishing Works, Panipat and others (A. P. Chowdhri, J.)

बनाम

श्री हरि किशन-उत्तरदाता।

1979 की नियमित दूसरी अपील *सं.* 1100

14 फरवरी, 1992।

सिविल प्रक्रिया संहिता (1908 का 5)- घोषणा के लिए मुकदमा- दायर किया गया मुकदमा इस आधार पर कि *हटाने* का *आदेश सजा के रूप* में *है- क्या कर्मचारी सुनवाई का हकदार है- वह अवसर* आयोजित *किया जाता है*